

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपरखण्ड अधिकारी), मुकाम जायल जिला-नागौर

नारायणराम

बनाम

घेवरी वगैरह

किस्म मुकदमा - राजस्व प्रार्थना पत्र

नम्बर 99/2012

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
06.7.2012	<p>प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वावत् सीमाकन कर पत्थर गद्दी करवाने वावत् पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब देही जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.8.2012 को पेश हो।</p> <p><i>dm</i></p> <p>राजस्थान कलक्टर (उपरखण्ड अधिकारी, नागौर)</p> <p>29/8/12</p> <p>राजस्थान कलक्टर के आश्रवता</p> <p>17/10/12</p> <p>राजस्थान कलक्टर के आश्रवता</p> <p>17/10/12</p> <p>21/11/12</p>	
रा. 12/12	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पक्षी उर्फ अग्रिमि 50, 1 व 3 के 10 तक का मोटो का पत्रावली पेश होमे पर पक्षी व का दि. 5-12-12 को पत्रावली अग्रिमि 50 के का मोटो का नोटिस कम्प हो अग्रिमि 50 का पत्रावली मोटा का पत्रावली पत्रावली दि. 5-12-12 का पत्रावली पेश</p>	

पदाकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

20-9-18

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इतलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 12-01-18 को प्रस्तुत करें।

पदाकार/पक्षकारान के अभिवक्ता
12-01-18

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इतलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 21-4-18 को प्रस्तुत करें।

12 6/18

पत्रावली न्याय आप के टार शिफ्ट में क्लर सेवा केन्द्र धाजोली में पैरा 5 की पत्रावली में वर्तमान रिपोर्ट के संबंध में लक्ष्मीछाटा जी विपरीत तालुक की जमीन टार आपस ने रिपोर्ट पैरा 6 के अंतर्गत क्वारा डि मॉजा कलारी की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाला सं. 19 में जामी का 1/4 हिस्सा दर्ज था जिस का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का आदेश चाहा है परन्तु जामीन पत्र प्रस्तुत करने के बाद जामी ने उक्त खाले में अपने मपकी 1/4 हिस्से की भूमि का बंधन ठर दिना है जिस के कारण सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का आदेश करना उचित नहीं है। जमाबंदी के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जामी के द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बंधन कट दिया गया है जिस के कारण जामीन पत्र यही होगा भी नहीं है अतः जामी का जामीन

पत्र चलने योग्य नहीं होने के
कारण अल्बिका पर प्राथमिक
शरीज किया जाता है पत्रावली
केवल शुभारंभ के नम्बर से
कम लोक उफार हाविल हो

